	अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)		
10/01/2025	आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। प्रत्यर्थी सरकार (नायब तहसीलदार मुरैना) की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का दिहौली उपस्थित हुये। सरकार की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।	जवाब की कॉपी प्राप्त हुई।	

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट द्वारा अपील में हल्का पटवारी द्वारा आपसी रंजिश प्रेरित प्रारूप में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मनिया द्वारा दिनांक 18/11/2024 को अपीलान्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित [illegible] आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुये नायब तहसीलदार मनिया निर्णय दिनांक 18/11/2024 को अपास्त करते हुये अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय चाहा है।

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने / विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जवाब अपील / स्थगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 7/1/2025 एवं 9/1/2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई। जिसकी प्रति वकील अपीलान्ट को दी गई।

नायब तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में ~~अंकित~~ अतिक्रमी को पिछले सम्वत् 2080 में बेदखल करने एवं उसके पश्चातवर्ती भी पुनः सम्वत् 2081 में सरसों बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 6/11/2024 को राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 6/11/2024 को सीमांकन व दिनांक 12/3/24 को सम्वत् 2080 में फसल नष्ट करने का मौका पर्चा संलग्न किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

उभयपक्षकारान को बहस सुनी गयी। जिसमें उभय पक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम मदई तहसील राजाखेड़ा में खसरा नम्बर 62 गैरमु0 श्मशान भूमि में 0.1890 है0 भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरुद्ध पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी मानते हुये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर एवं सिविल दिनांक 18/11/2024 को फसल नष्ट करने एवं कारावास से दंडित किया है। संलग्न सम्वत् 2080 में दिनांक 12/3/24 को फसल खुर्द-बुर्द करने सम्बन्धी मौका पर्चा एवं वर्तमान रबी में दिनांक 6/11/24 को सीमाज्ञान सम्बन्धी मौका पर्चा में अतिक्रमी उदयसिंह के अतिक्रमण शुदा खसरा नम्बर 62 का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जिसके कारण अपीलान्ट को संदेह का लाभ देते हुये पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी होना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मरैना निर्णय दिनांक 18/11/2024 में अतिक्रमी को दी गई सिविल कारावास सजा निरस्त की जाती है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना हेतु भेजी जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/1/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ धौलपुर (राज0) ★

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर